उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या : 11/2017/1453/छप्पन-2016-36/2014
लखनऊ : दिनांक : 09 फरवरी, 2017
कार्यालय-ज्ञाप
संशोधित

निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव पर कार्यालय ज्ञाप संख्या : 69/2016/845/छप्पन-2016-36/2014, दिनांक 09.09.2016 द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय में कार्यरत पायलट (रोटर विंग) के पद पर संविदा के आधार पर कैप्टन दिनेश श्रीवास्तव की संविदा अवधि दिनांक 25.08.2016 से अग्रेत्तर दो वर्ष (अर्थात दिनांक 25.08.2016 से दिनांक 24.08.2018 तक) के लिये मासिक पारिश्रमिक रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) पर बढ़ायी गयी है। उक्त सन्दर्भ में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 75/ना0उ0नि0/आप्स-डी0एस0/2016, दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 19/छप्पन-2015-17/14, दिनांक 26.02.2015 तथा शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09.09.2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार श्री श्रीवास्तव को दिनांक 26.02.2015 से रूपये 4,72,500/- मासिक पारिश्रमिक अनुमन्य है। अत: उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.09.2016 को संशोधित करते हुए मासिक पारिश्रमिक के रूप में रूपये 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) के स्थान पर उक्त शासनादेश दिनांक 26.02.2015 एवं शासनादेश दिनांक 09.09.2014 द्वारा विहित व्यवस्थानुसार मासिक पारिश्रमिक अनुमन्य किया जाना चाहिए।

2- उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-19/छप्पन-2015-17/14, दिनांक 26.02.2015 तथा शासनादेश संख्या- 1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09.09.2014 में विहित प्राविधानों के अनुसार देय नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक वेतन वृद्धि एतद्द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव को अनुमन्य होगी। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 69/2016/845/छप्पन-2016-36/2014, दिनांक 09.09.2016 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

कै0 दिनेश श्रीवास्तव, पायलट (संविदा सेवा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

संख्या : 11/2017/1453(1)/छप्पन-2016 तददिनांक।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।